

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री मनीष बोर्ड, लेखा सदस्य तथा**  
**सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष**

**आ(एसएस).अ.सं. 21 से 25/ इंदौर /2019**

**आ.अ.सं. 709 से 711/इंदौर/2019**

**निर्धारण वर्ष : 2012-13 से 2016-17**

मे.वर्धमान इंफ्रा इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ललितपुर	बनाम	आयकर उपायुक्त (सेंट्रल)-1, भोपाल आयकर आयुक्त (अपील)-3, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएडीसीवी 5876 एफ		

अपीलार्थी की ओर से	श्री गिरीश अग्रवाल तथा सुश्री निशा लाहोटी, प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	05.04.2021
उद्घोषणा तिथि	05.04.2021

**आदेश**

**न्यायपीठ द्वारा**

निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2016-14 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1963 की धारा 153 सी के साथ पठित धारा 143(3), धारा 143(3) तथा धारा 271 (1)(सी) के अधीन निर्धारिती की उपरोक्त अपीलें आयकर आयुक्त (अपील)-3, भोपाल के आदेश दिनांक 14.12.2018 के विरुद्ध दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह निवेदन किया कि निर्धारिती ने "विवाद से विश्वास योजना" में आवेदन किया है तथा योजना के अनुसार, वर्तमान अपीलों को वापिस लेना अपेक्षित है। अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है। दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ने कोई आपत्ति नहीं की है यदि इन अपीलों को कथित योजना के अंतर्गत दबाव नहीं डाले जाने के कारण खारिज किया जाता है।

3. उपरोक्त की दृष्टि में, हम निर्धारिती द्वारा दाखिल इन अपीलों को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं। यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि संबंधित निर्धारिती का इस योजना के उपभोग करने हेतु आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से स्वीकार नहीं किया जाता है या संबंधित निर्धारिती किसी कारण से इस योजना में भाग नहीं ले पाता है।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं।

यह आदेश 05.04.2021 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मधुमिता रॉय)  
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-

(मनीष बोरड)  
लेखा सदस्य

दिनांक : 05.04.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल